IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कामकाजी महिला :एक सामाजिक अध्ययन

डॉ0 अंजू कुमारी
'शिक्षिका'
मध्य विद्यालय, भोजपट्टी, केवटी
दरभंगा (बिहार).846004

नौकरी और शिक्षा के अवसर कंप्यूटर, मिडिया, पत्रकारिता, सेना, डाक्टर, विज्ञान आदि जगह पर भी अपना सिक्का जमा लिया अब नारी कि दुनिया बदल रही है। वह अब देवी, साध्वी, गृहणी मॉ या पत्नी के रूप में किश्तों में जीने के बजाय सम्पूर्ण औरत बन कर जीना चाहती है। वह एक मॉ भी है, पत्नी भी, प्रेमिका भी पर आज उसका अपना कैरियर भी है वह अब खुले आकाश में अपनी उड़ान भर लेना चाहती है।

दुनिया की आधी आबादी है नारी। शतपथ ब्राह्मण में तो यहॉ तक कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा भाग है। नारी की उपलब्धि के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करन, संसार आगे चलाने के लिए संतान की जरूरत होती है जिसका एक मात्र साधन पत्नी है। वही नारी जो वैदिक युग में देवी थी धीरे–धीरे अपने पद से नीचे खिसकने लगी। मध्यकाल में जब सामन्तवादी युग आया तो दुर्बल लोगों का शोषण किया जाने लगा। उसके लिए जंगली कानून बने और उसी कानून में नारी भी आई। नारी जाती को सामूहिक रूप से पतित अनाधिकारी बताया गया उसी विचारधारा ने नारी के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा कर पुरूष को हर जगह बेहतर बता कर उसको इतना शक्तिहीन विद्याहीन साहसहीन कर दिया कि नारी समाज के लिए तो क्या उपयोगी सिद्ध होती अपनी आत्मरक्षा के लिए भी पुरूष पर निर्भर हो गई। कुछ नियम समाज के ठेकदारों ने और पुरहितों ने मिल कर बनाए जिस में पुरूष को औरत का ईश्वर बता कर उसको भाग्य का लेखा ईश्वर कि इच्छा विधि का विधान आदि नाम दे दिए। उसी प्रकार

के श्लोक भी बना दिए इसी समाज ने कहा कि स्त्री का पति ईश्वर का स्वरूप है उसके पांव छुओ उसकी झूठन खाओ और अपनी इच्छाओं के सारे साधन जुटा कर नारी को सरंक्षण दिया। नारी दया, माया, ममता, सेवा गुणों से संपन होते हुए भी एक पदार्थ बन कर रह गई फिर ब्रिटिश काल आया इस स कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ पर यह एक उच्च वर्ग तक ही सिमित रहा। आजादी के बाद देश को चलाने वाले नेताओं ने यह महसूस किया कि यदि समाज को उन्नत बनाना है तो लड़कियों को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। तभी से नारी शिक्षा के प्रसार में तेजी आई और इसी से ही समाज की उन्नति हो सकती है। जहॉ नारियां अशिक्षित होंगी वहां वह असुरक्षित होंगी। उनकी संतान में उच्च संस्कार नही होंगे क्यूंकि बच्चे की प्रथम गुरू मॉ ही होती है किसी भी देश का समाज का विकास सीधा वहां की नारी शक्ति से जोड़ा जा सकता है जिस समाज में नारी का सम्मान नही वहां उन्नति होना मुकिश्ल है।

महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों को झुठलाती, अमेरिकी समाचार पत्रिका न्यूजवीक और महिला अधिकारों पर केन्द्रित द डेली बीस्ट की एक नई रिपोर्ट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारी सरकारें महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें सशक्त करने का जो दम भरती हैं, वह किस हद तक झूठे और भ्रम पैदा करने वाले होते हैं।

द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेस फॉर वूमेन नाम की इस रिपोर्ट में शामिल 165 देशों में भारत को 141वां स्थान दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान आदि जैसे अल्प–विकसित देशों को भारत की अपेक्षा महिलाओं के लिए सुरक्षित दर्शाया गया है।

इस अध्ययन में महिलाओं की स्थिति को परखने के लिए पांच मानकों पर काम किया गया–कानून, राजनीति, कामकाज में भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण में ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी हकीकत को बयां किया गया है। उदाहरण स्वरूप उनकी शैक्षिक स्थिति जांचने के लिए औपचारिक तौर पर साक्षरता दर का सहारा लेने की बजाय उसे महिलाओं को अलग–अलग आयु वर्गों और उनसे संबंधित नतीजों को आधार रखा गया है। जैसे कि वयस्क स्त्रियों की साक्षरता दर, युवतियों की साक्षरता दर,

25 वर्ष की आयु तक स्कूल न जा पाने वाली स्त्रियों का प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर पाने वाली महिलाएं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए नामांकन का लिंग अनुपात आदि। वहीं आर्थिक हालातों को, महिलाएं सभी औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर सकती हैं या नहीं, कुछ श्रमशक्ति में उनका प्रतिशत क्या है, महिलाओं को मिलने वाला वेतन पुरूषों की तुलना में औसतन कितना प्रतिशत है और महिला नेतृत्व के क्या प्रमाण हैं, आदि के आधार पर परखा गया। इतना ही नहीं महिला स्वास्थ्य की वास्तविक हकीकत जानने के लिए तो और भी अधिक गंभीरता से अध्ययन किया गया है।

नौकरी पेशा महिलाओं के बच्चों की दिन में देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से राजीव गांधी राष्ट्रीय बाल गृह योजना शुरू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य नौकरी पेशा महिलाओं के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिन में देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह सुविधा उन्हीं महिलाओं को उपलब्ध होगी जिनके परिवार की आय 12000 रूपये मासिक से अधिक न होगी। इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण, रोगों से बचाव के टीके, पोलियों की दवा प्रारम्भिक देखभाल और बच्चों के मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।

रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता के विकास और कामकाज या नौकरी के लिए अपने शहरों से दूर रहने वाली महिलाओं के उचित, सुरक्षित और कम खच में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर वर्ष 1972–73 से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल (आवास) योजना पर काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 1972–73 में अपने आरंभ से अब तक 891 हॉस्टलों की मंजूरी की जा चुकी है, जिनमें 66,999 महिलाओं के आवास और इनमें दिन के समय चलाए जाने वाले क्रेचों अर्थात बाल गृहों में 8,532 बच्चों की देखभाल की मंजूरी की जा चुकी हैं। नवंबर 2010 में इस योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई थी संशोधित योजना के अंतर्गत महिला विकास निगमों महिला वित्त निगमों और छावनी बोर्डो, पंचायती राज संस्थानों का स्व सहायता समूहों, मान्यता प्राप्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, नागरिक

समाज संगठनों और सहकारी संस्थाओं सहित शहरी पालिका निकाय राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।

मेरा इस सब को लिखने का मकसद यही है की नारी वैदिक काल में जिन गुणों से संपन थी वह धीरे–धीरे नारी के शायद बढ़ते वर्चस्व से पुरूष समाप्त करता चला गया। पर आज की नारी बहुत आगे जा चुकी है और आगे जाना है उसको। नारी की स्थिती अभी भी बहुत बदलना बाकी है। पर इसके लिए सिर्फ यहॉ लिखने से काम नही चलेगा। उस के लिए कुछ ठोस कदम खुद ही नारी को उठाने होंगे। अपने आस–पास झांकना होगा। फिर चाहे वह कम पढ़ी–लिखी एक निम्न वर्ग की स्त्री हो या आपके घर में काम करने वाली बाई। ऐसी एक भी स्त्री का हम उसके अधिकारों से परिचित करवा देते हैं तो समझ जाए की हमने आने वाले वक्त के परिवार को उन्नत समाज का रास्ता दिखा दिया है। हम सफर बन कर चले नारी और पुरूष दोनों। समानता हो और एक–दूसरे के विचारों का आदर तभी एक उन्नत समाज की कल्पना की जा सकती है।

संदर्भ :–

1. एस.अग्रवाल, बिहार का परिदृश्य, भारतीय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ0 46
2. विपीन कुमार, वैश्वीकरण तथा महिला सशक्तिकरण, लिगल पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, 2009
3. डॉ0 प्रसाद धर्मशीला : भारत की सामाजिक संस्थाएँ स्टुडेण्ट्स फ्रेण्ड्स, पटना। (1999)
4. प्रो0 गुप्ता एम.एल. एवं डॉ. शर्मा डी.डी. : ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (2005)
5. रस्तोगी आर.के. : तुलनात्मक समाजशास्त्र, संजीव प्रकाशन, मेरठ (2006)
6. इंण्डिया टुडे (2012)